न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : दीपक मेहता, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 165/17 **(वाद)**

1. श्रीमती कन्नी उर्फ कसनीबाई पुत्री स्व. चुन्नीलाल पत्नी रामलाल जाति माली, निवासी आकोला, तहसील भूपालसागर हाल सनवाड, तहसील मावली, उदयपुर (राज.) .....वादीयां

बनाम्

1. श्रीमती खमाणीबाई पत्नी स्वर्गीय चुन्नीलाल जाति माली, निवासी सनवाड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. पटवारी, पटवार हल्का सनवाड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री मनीष तम्बोली, अधिवक्ता वादीयां।

2. श्री राजेश दाधीच, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 30.01.2019

1. (अ) वादीया द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :– मौजा सनवाड, पटवार हल्का सनवाड, तहसील मावली, जिला उदयपुर में निम्न आराजीयात् स्थित है:–

खाता संख्या नई 764 पुराना 329

खसरा नम्बर	रकबा
4157	दो बीघा सात बिस्वा
4158	दो बीघा छः बिस्वा
4161	एक बीघा एक बिस्वा

कुल खसरा तीन कुल रकबा पांच बीघा चौदह बिस्वा

उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या एक के नाम पर 1/3 हिस्सा एवं भेरूलाल पिता चुन्नीलाल माली के नाम पर 2/3 हिस्सानुसार अंकित है, भैरूलाल माली का स्वर्गवास हो चुका है। जमाबंदी की नकल संलग्न है।

परिशिष्ठ – ब

खाता संख्या नई 765 पुरानी 329

आराजी नम्बर	रकबा
4156	चार बीघा पांच बिस्वा
5552/4155	चार बीघा दस बिस्वा

कुल खसरा दो कुल रकबा आठ बीघा प्रन्दह बिस्वा

उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी सख्या एक के नाम पर 1/3 हिस्सा एवं भैरूलाल पिता चुन्नीलाल माली के नाम पर 26.67/175 हिस्सानुसार व अन्य के नाम पर संयुक्त रूप से अंकित है, भैरूलाल माली का स्वर्गवास हो चुका है। जमाबंदी की नकल संलग्न है।

परिशिष्ठ – स

खाता संख्या नई 773 पुरानी 329

आराजी नम्बर	रकबा
4159	दो बीघा पांच बिस्वा
4160	तीन बीघा सोलह बिस्वा

कुल खसरा दो कुल रकबा छः बीघा एक बिस्वा

उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या एक के नाम पर 1/6 हिस्सा एवं भैरूलाल पिता चुन्नीलाल माली के नाम पर 1/3 हिस्सानुसार व अन्य के नाम पर संयुक्त रूप से अंकित है, भैरूलाल माली का स्वर्गवास हो चुका है। जमाबंदी की नकल संलग्न है।

(ब) यह कि मुझ वादीया व प्रतिवादी संख्या एक व मृतक भैरूलाल माली का सजरा खानदान निम्नानुसार हैः–

स्वर्गीय चुन्नीलाल माली

↓	↓	↓
खमाणी, पत्नी	भैरूलाल, पुत्र लाऔलाद फौत	कन्नी, पुत्री

(स) यह कि उक्त कलम संख्या एक में वर्णित भूमि मौरूसी जायदाद है और पूर्व में मुझ वादिया व प्रतिवादी संख्या एक के पति/पिता चुन्नीलाल जी के नाम पर अंकित थी, जिनका स्वर्गवास होने पर विरासत से उक्त भूमि उनके विधिक

वारिसान मृतक भैरूलाल, मुझ वादिया व प्रतिवादी संख्या एक के नाम पर समान हक हिस्सानुसार अर्थात् 1/3 – 1/3 हिस्सानुसार दर्ज हुई परन्तु मुझ वादीया ने अपने हिस्से की 1/3 हिस्सा भूमि का हकत्याग मेरे भाई भैरूलाल के पक्ष में त्याग कर दिया जिससे भैरूलाल के नाम पर वर्तमान जमाबंदी में 2/3 हिस्सा दर्ज है। मृतक भैरूलाल माली जो कि मुझ वादीया का सगा भाई था और जिसके कोई पुत्र पुत्री संतान नही है और भैरूलाल के जीवनकाल में ही इसकी पत्नी कई वर्षों पूर्व ही इसको छोडकर अन्यत्र नाते चली गयी जिससे भैरूलाल मुझ वादीया के साथ ही रहता था और मुझ वादीया ने ही इसकी सार सम्भाल की, भरण पोषण किया और इसकी बिमारी में ईलाज करवाया और मेरे भाई भैरूलाल माली के जीवनकाल में ही इसके हिस्से की सम्पूर्ण 2/3 हिस्सा भूमि पर काबिज हो काश्त कर रही हूं और मेरे ही उपयोग उपभोग में है। चूंकि भैरूलाल माली की लाऔलाद मृत्यु हो चुकी है इसलिए उसके पीछे में वादीया उक्त मृतक भैरूलाल के हिस्से की सम्पूर्ण हिस्सा भूमि को अपने नाम पर खातेदारी काश्तकार के रूप में घोषित फरमा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में अंकन करवाने की अधिकारी हूं।

(द) वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित आराजीयात् वर्तमान राजस्व रेकार्ड में मेरे भाई मृतक भैरूलाल के नाम पर हिस्सानुसार दर्ज है परन्तु मौके पर उक्त भैरूलाल के हिस्से की सम्पूर्ण हिस्सा भूमि पर मैं वादीया भैरूलाल के जीवनकाल से ही करीबन विगत 20 वर्षों से लगातार निरन्तर बिना किसी बाधा के उपयोग उपभोग कर रही हूं और मेरे ही कब्जे काश्त में है परन्तु प्रतिवादी संख्या एक उक्त भैरूलाल के हिस्से की सम्पूर्ण हिस्सा भूमि को अपने नाम पर अंकन करवा किसी अन्य को विक्रय करने पर आमादा है जिसका इसे कोई विधिक अधिकार नही है इसलिए मैं वादीया प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी हूं कि प्रतिवादी संख्या एक उक्त आराजीयात् में से मृतक भैरूलाल के हिस्से की भूमि को अपने अकेले के नाम पर दर्ज नही करवावें न किसी अन्य को विक्रय रहन बक्षीस या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण करें और मुझ वादीया को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे इसमें किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करे न अपने नौकर चाकर एजेन्ट आदि से करवावें।

(य) मुझ वादिया का प्राइमाफैसी कैस है क्योकि मैं वादीया मृतक भैरूलाल माली की सगी बहन हूं और भैरूलाल लाऔलाद फौत हो चुका है और जिसके कोई पुत्र पुत्री संतान नही है इसलिए भैरूलाल के जीवनकाल से ही उसके हिस्से की

भूमि पर मैं वादीया काबिज हो उपयोग उपभोग कर रही हूं और वर्तमान में भी मेरे ही कब्जे उपभोग में है सुविधा संतुलन एवं अशोधनीय क्षति के बिन्दु भी मुझ वादीया के पक्ष में है क्योंकि भैरूलाल के कोई पुत्र पुत्री संतान नही है और इसकी पत्नी के कई वर्षों पूर्व ही अन्यत्र नाते चली जाने से भैरूलाल अकेला था और मुझ वादीया के साथ ही रहता था, मैने ही उसकी सार सम्भाल की, भरण पोषण किया, बिमारी में ईलाज आदि करवाया और अंतिम समय तक भैरूलाल की सेवा चाकरी की थी व इसी कारण में वादीया इसके हिस्से की 2/3 हिस्सा भूमि पर उसके जीवनकाल से ही विगत 20 वर्षों से लगातार निरन्तर प्रतिवादी संख्या एक की जानकारी में काबिज हो उपयोग उपभोग कर रही हूं और यदि प्रतिवादी संख्या एक उक्त कृषि भूमि में से भैरूलाल के हिस्से की भूमि को राजस्व रेकार्ड में अपने नाम पर खातेदारी हक से दर्ज करवा किसी अन्य को विक्रय रहन बक्षीस या किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरण कर देगी और मुझ वादीया को अपने जायज हक एवं अधिकारों से हमेशा के लिए वंचित कर देगी तो इससे जो क्षति मुझ वादीया को होगी उसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में किया जाना असम्भव होगा जबकि स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से इसको किसी प्रकार की कोई क्षति नही होगी।

(र) अतः निवेदन है कि वादीया के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की डिक्री फरमाई जावे कि वादपत्र की कलम संख्या एक में वर्णित भूमि में से मृतक भैरूलाल के हिस्से की सम्पूर्ण 2/3 हिस्सा भूमि को मुझ वादीया के नाम पर खातेदारी हक से घोषित फरमाया जाकर राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में स्वतन्त्र रूप से अंकन फरमाया जावे व इसी अनुसार अलग से लगान जारी फरमाया जावें। मुझ वादीया के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि कलम संख्या एक, अ, ब, स में वर्णित भूमि में से मृतक भैरूलाल के हिस्से की सम्पूर्ण हिस्सा भूमि को प्रतिवादी संख्या एक अपने अकेले के नाम पर दर्ज करवा किसी अन्य को विक्रय रहन बक्षीस या किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित नही करे तथा मौके एव रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे और मुझ वादीया को शांतिपूर्वक मेरे कब्जेसुदा भूमि का उपयोग उपभोग करने देवे इसमें किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करे न अपने नौकर चाकर एजेन्ट आदि से करवाये और यदि प्रतिवादी संख्या एक उक्त मृतक भैरूलाल के हिस्से की भूमि को अपने स्वयं के अकेले के नाम पर दर्ज करवाने हेतु कोई दस्तावेज प्रतिवादी संख्या दो पटवारी साहब सनवाड के यहां

प्रस्तुत करे तो पटवारी साहब ताफैसला वाद उक्त मृतक भैरूलाल के हिस्से की 2/3 हिस्सा भूमि को प्रतिवादी संख्या एक या किसी भी अन्य व्यक्ति के नाम पर नही खोले और राजस्व रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को जरिये सम्मन तलब किया गया।

3. प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद का स्वीकारात्मक जवाब पेश किया और निवेदन किया कि वादीया में कोई आपत्ति नही है वाद वादीया स्वीकार है।

4. अधिवक्ता वादीया के द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 की खाता संख्या 764, 765, 773 की प्रति प्रदर्श 1 पेश की।

5. अधिवक्ता वादीया के द्वारा साक्ष्यवादी पी.डब्ल्यू. 1 श्रीमती कन्नी उर्फ कसनीबाई पुत्री चुन्नीलाल पत्नी रामलाल जाति माली निवासी आकोला, तहसील भूपालसागर हाल सनवाड, तहसील मावली जिला उदयपुर का शपथ पत्र, साक्ष्यवादी पी.डब्ल्यू. 2 श्री गणेशलाल पिता प्रताप जाति माली, निवासी आकोला, तहसील भोपालसागर, जिला चितौडगढ का शपथ पत्र, साक्ष्यवादी पी.डब्ल्यू. 3 श्री रोशनलाल पिता देवीलाल जाति जाट निवासी सनवाड, तहसील मावली, जिला उदयपुर का शपथ पत्र पेश किया गया।

6. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान् बहस को सूना गया । विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान् के द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया वाद पत्र अनुसार मृतक भैरूलाल के हिस्से की सम्पूर्ण 2/3 हिस्सा भूमि को वादीया के नाम पर खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जाने का निवेदन किया।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान के बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। वादीया के वाद पत्र अनुसार वादग्रस्त भूमि वादिया की मौरूसी जायदाद है। वादग्रस्त भूमि पूर्व में स्वर्गीय चुन्नीलाल माली जो की वादिया के पिता है के नाम दर्ज थी जिनका स्वर्गवास होने पर विरासत से उक्त भूमि उनके विधिक वारिसान् पुत्र मृतक भैरूलाल, पुत्री वादिया तथा पत्नी खमाणीबाई के नाम पर समान हक हिस्सानुसार अर्थात् 1/3 – 1/3 हिस्सानुसार दर्ज हुई किन्तु वादिया ने अपने हिस्से की 1/3 भूमि का हकत्याग भैरूलाल के पक्ष में कर दिया जिसका राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद भी हो चुका है। भैरूलाल लाऔलाद फौत हो चुका है एवं भैरूलाल की पत्नी कई वर्षों पूर्व अन्यत्र नाते चली गई है। इस

कारण वादिया ने भैरूलाल की विधिक वारीस होने के नाते स्वयं को भैरूलाल के हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित करने की दाद चाही है। वादिया के वाद पत्र से स्पष्ट है कि वादीया के द्वारा अपनी हच्छा से अपने भाई श्री भैरूलाल के पक्ष में हकत्याग किया गया है जिसके आधार पर वादिया के हिस्से की भूमि उसके भाई भैरूलाल के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई है। उक्त हकत्याग वर्तमान में भी प्रभावी है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 निर्वसीयत मरने वाले हिन्दु पुरूष की सम्पत्ति किस प्रकार न्यायगत होगी को दर्शाती है। जिसके अनुसार प्रथमतः उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी जिसमें माता एवं पत्नी तो सम्मिलित है बहिन नही। इस प्रकार वादिया मृतक भैरूलाल की विधिक वारीस नही है। वादीया के द्वारा स्वर्गीय श्री भैरूलाल की पत्नी को भी वाद में पक्षकारान् नही बनाया गया जिससे भी वादीया का वाद संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद अस्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(दीपक मेहता)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली

बईजलास दीपक मेहता, आर.ए.एस.

उनवान

1. श्रीमती कन्नी उर्फ कसनीबाई पुत्री स्व. चुन्नीलाल पत्नी रामलाल जाति माली, निवासी आकोला, तहसील भूपालसागर हाल सनवाड, तहसील मावली, उदयपुर (राज.) .....वादीयां

बनाम्

1. श्रीमती खमाणीबाई पत्नी स्वर्गीय चुन्नीलाल जाति माली, निवासी सनवाड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. पटवारी, पटवार हल्का सनवाड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 165/17 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु दीपक मेहता R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वदीया का वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 30.01.2019 को जारी की गई।

(दीपक मेहता)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली